

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशांषा/18-19/12600-08 दिनांक : 08.03.19

परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
डूंगरपुर।

विषय : सडक/पुलिया निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रों द्वारा शासन से अनुमोदन पश्चात विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी की गईं।

प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित कार्य की तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-8 में वर्णित राशि अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी - ग्राम पंचायत

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ग्रा.पं.	पंस.	प्रशा. स्वी. क्र./दि.	प्रशा. स्वी. अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति	
						क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	डूंगरपुर						
1	सडक मय पुलिया निर्माण कार्य उदयपुर- बांसवाडा रोड से बोरतलाई एस.टी बस्ती तक, ग्राम पिण्डावल	पिण्डावल	साबला	11000-30/ 28.02.19	10.00	AEN NREGA/PS SABLA 357/08.03.2019	10.00
2	सी.सी.सडक निर्माण बरीया फला	कहारी	दोवडा	12493-503/ 08-03-19	10.00	AEN NREGA/PS DOVRA 145//07.03.2019	10.00
	योग				20.00		20.00

उपरोक्त कार्य हेतु राशि का व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 64/2018-19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 1001.69 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्तें :-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने में कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित की जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देवा) I.A.S.

आयुक्त

कृ.पू.उ.

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/12600-08 दिनांक : 08.03.19

प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 64/2018-19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 1001.69 लाख में से विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 64/2018-19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 1001.69 लाख में से राशि रु 20.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग डूंगरपुर को हस्तान्तरित करें।
- ~~5. निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।~~
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति साबला, दोवडा जिला डूंगरपुर।
7. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721  
Website www.tad.rajasthan.gov.in ई-मेल : comm.tad@gmail.com